प्रेस की सूचना हेतु नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 04/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ट्राई ने "पीएम-वाणी योजना के तहत पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड टैरिफ के युक्तिकरण" पर ड्राफ्ट दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया।

नई दिल्ली, 15 जनवरी 2025: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश, 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसमें पीएम-वाणी योजना के तहत सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के लिए ब्रॉडबैंड टैरिफ के युक्तिकरण (रेशनलाईजेशन) का प्रस्ताव दिया गया है।

2. दूरसंचार विभाग (DoT), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने TRAI को अपने संदेश में इस बात को रेखांकित किया है कि पीएम-वाणी योजना का प्रसार परिकल्पित लक्ष्यों से काफी कम था। पीएम-वाणी के कम प्रसार के लिए बताए गए कारणों में से एक कारण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) द्वारा ली जाने वाली बैकहॉल इंटरनेट कनेक्टिविटी की उच्च लागत थी। यह भी कहा गया था कि व्यावसायिक समझौतों की आड़ में दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) और इंटरनैट सर्विस प्ररोवाईडर (आईएसपी) को अक्सर महंगी इंटरनेट लीज लाइनों का उपयोग करने के लिए सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट को जोड़ने के लिए सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) की आवश्यकता पड़ती है।

3. इस मुद्दे को हल करने के लिए, ट्राई ने 23 अगस्त 2024 को ड्राफ्ट टेलीकम्यूनिकेशन टैरिफ (70वां संशोधन) आदेश, 2024 जारी किया, जिसमें प्रस्ताव दिया गया कि पीएम-वाणी योजना के तहत पीडीओ को प्रदान की जाने वाली ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए टैरिफ को रिटेल ब्रॉडबैंड (एफटीटीएच) टैरिफ के साथ जोड़ा जाएगा। प्रस्तावित ढांचे पर हितधारकों से टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं।

4. इसके पश्चात, 16 सितंबर 2024 को, DoT ने इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए TSPs के साथ वाणिज्यिक समझौता करने के लिए PDOs की आवश्यकता को हटाकर और PDOs को सिंगल वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए 100 एक्सेस पॉइंट तक नेटवर्क की अनुमति देकर पीएम-वाणी ढांचे में संशोधन जारी किया।

5. दूरसंचार विभाग के 16 सितंबर 2024 के संशोधन, हितधारकों की टिप्पणियों और ड्राफ्ट टीटीओ (70वें संशोधन) पर प्राप्त प्रति टिप्पणियों, आंतरिक विश्लेषण को देखते हुए, प्राधिकरण एक संशोधित ड्राफ्ट दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश का प्रस्ताव करता है जिसमें ब्रॉडबैंड टैरिफ (एफटीटीएच) को निर्धारित किया गया है। पीएम-वाणी योजना के तहत पीडीओ के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली संगत क्षमता की रिटेल ब्रॉडबैंड (एफटीटीएच) सेवाओं के लिए लागू टैरिफ के दो गुने से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. इस प्रस्ताव का उद्देश्य पीएम-वाणी हॉटस्पॉट के प्रभावी प्रसार को सपोर्ट करना और एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है जो पीडीओ और सेवा प्रदाताओं के बीच संतुलित संबंध सुनिश्चित करता है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 और भारत 6जी विजन के व्यापक उद्देश्यों में योगदान देना है, जो 2030 तक 50 मिलियन सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की तैनाती का लक्ष्य रखती हैं।

7. संशोधन का मसौदा ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर मौजूद है। हितधारकों से अनुरोध है कि वे 31 जनवरी 2025 तक अपनी लिखित टिप्पणियाँ और 7 फरवरी 2025 तक प्रति-टिप्पणियाँ प्रदान करें। टिप्पणियाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से श्री अमित शर्मा, सलाहकार (वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण), ट्राई को fa@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अमित शर्मा, सलाहकार (एफ एंड ईए) से **टेलीफोन नंबर 011-20907772** पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी
15/1/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा